(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :**मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2162–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–6–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 67/अपील/2015–16.

श्रीमती आशाबाई पत्नी घनश्याम पुत्री प्रहलाद
निवासी ग्राम झालसर रोड
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

रामवगस वल्द सिम्भू
निवासी ग्राम डोभी उर्फ तालपुरा
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदिका
श्री मुकेश यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम डोभी उर्फ तालपुरा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 72 रकबा 0.046 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 220 रकबा 2.557 हेक्टेयर आवेदिका की पैतृक संपत्ति है जो कि उसके दादा रेंगू के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उपरोक्त भूमि पर अनावेदक द्वारा गलत जानकारी देकर

वसीयतनामें के आधार पर अपना नामान्तरण पंजी कमांक 45/104 व 41 पर आदेश दिनांक 5–10–1996 से करा लिया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका सहित शांताबाई द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–6–13 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–12–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–6–16 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) वसीयतनामे के आधार पर साक्ष्य ली जाकर वसीयतनामे को संदेह से परे सिद्ध करना होता है और नामान्तरण पंजी पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि रेंगू की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र व पुत्री के नाम दर्ज हुई, तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और मृतक भूमिस्वामी रेंगू द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदिका द्वारा नामान्तरण में सहमति दी गई गई है जबकि उसके द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है । आवेदिका का फर्जी अँगूठा लगवाया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) रेंगू के जीवनकाल में ही उसके मृत पुत्र प्रहलाद की पत्नी मैनाबाई द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार रामवगस से विवाह कर लिया गया था इसलिये रेंगू द्वारा अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था ।

(2) आशाबाई द्वारा अनावेदक के नामान्तरण में सहमति दी गई है और सहमति स्वरूप अँगूठा निशानी लगाया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) आवेदिका अधीनस्थ न्यायालयों में यह सिद्ध करने में असमर्थ रही है कि वह रेंगू की वैध संतान है और वैध संतान को ही पिता की संपत्ति में हक प्राप्त होता है । यदि आवेदिका रेंगू की पुत्री होती तब उसका नाम प्रश्नाधीन भूमि में जुड़ना चाहिये था जो कि नहीं जुड़ा है ।

(4) आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के 19 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि अत्यधिक अवधि बाह्य थी ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 109 व 110 के प्रावधानों के अनुरूप वसीयत के आधार पर नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त आशाबाई का नाम खारिज होने का उल्लेख भी नामान्तरण पंजी में है जो कि कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है । अनुविभागीय अधिकारी ने भी वसीयतनामा को उसके गवाहों से प्रमाणित नहीं किया है, जबकि वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के लिये वसीयतनामें को साक्ष्य से प्रमाणित करना विधिक आवश्यक है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर भी नहीं दिया गया है जिस कारण वह अपने आपको मृतक भूमिस्वामी का वारिस प्रमाणित नहीं कर सका है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत

रखते हुये इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर